रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012020-215077
CG-DL-E-02012020-215077

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 05] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 1, 2020/पौष 11, 1941
No. 05] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 1, 2020/ PAUSHA 11, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिस्मबर, 2019

का. आ. 05(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 के अनुसरण में, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्यांक का.आ. 554(अ) तारीख 30 जनवरी, 2019 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना और उसमें अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2951(अ), तारीख 16 अगस्त, 2019 द्वारा संशोधन किया गया था में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : —

2. उक्त अधिसूचना के, पैरा 5. में, क्रम संख्यांक (7क.) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : —

"(7ख.) डॉ.विवेक सक्सेना - सदस्य ;".
देश प्रतिनिधि, आईयूसीएन इंडिया
सी-**10,** गुलमोहर पार्क**,** नई दिल्ली-110049

[फा. सं. जे -11013/24/2007-आईए.II (I)]
अरविंद नौटियाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्यांक का.आ. 554(अ), तारीख 30 जनवरी, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अधिसूचना संख्यांक का.आ.2951(अ), तारीख 16 अगस्त, 2019 द्वारा संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2019

S.O. 05(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 554(E) dated the 30th January, 2019 and amended *vide* number S.O. 2951(E) dated the 16th August, 2019, namely:-

2. In the said notification, in the paragraph 5., after serial number (7A.) the following shall be inserted, namely:-

'' (7B.) Dr. Vivek Saxena - Member;''.
Country Representative, IUCN India
C-10, Gulmohar Park, New Delhi - 110049

[F. No. J-11013/24/ 2007- IA.II (I)]

ARVIND NAUTIYAL, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 554(E) dated the 30th January, 2019 and amended *vide* number S.O. 2951(E) dated the 16th August, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA